RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 सितम्बर, 2016 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 13, अंक : 4

संगठन ही शक्ति है

आप सबको दशहरा और दिवाली के त्यौहारों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा है कि आपके घरों में भगवान भरपूर सुख और समृद्धि लायें और आप लोग प्रसन्नता से इन त्यौहारों को मनायें।

बन्धुवर,

इस समय आलू का रेट चिन्तनीय अवस्था में अवश्य है परन्तु विशेष घबराने की जरूरत नहीं है। हम बार–बार कहते आ रहे है कि हर रेट पर थोड़ा–थोड़ा आलू बेचते रहेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी और जो एवरेज average भाव मिलेगा वह भी संतोषजनक होगा। →

आलू के भावों में नर्मी का विशेष कारण है कि इन दिनों में जितना आलू शीतगृहों से निकलता था उस मात्रा में नहीं निकल पा रहा है परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दिनों में अधिक आलू केवल इस लिए निकलता था कि इन दिनों में बीज के आलू की निकासी बहुत अधिक होती थी। यह बीज आलू जल्दी फसल पैदा करने की लालच में बोया जाता है, लेकिन इस वर्ष वर्षा का season काफी लम्बा हो जाने की वजह से बीज आलू नहीं निकल पा रहा है। यह बीज जभी निकलेगा जब वर्षा पूरी तरह से बन्द हो जायेगी और मौसम में भी थोड़ी ठण्डक आने लगेगी।

वर्षा के season के लम्बा खिच जाने के कारण अक्टूबर अन्त या नवम्बर के पहले सप्ताह में आ जाने वाली नयी फसल भी अब पिछड़ गई है। अतः हो सकता है कि शीतगृहों में रखे आलू को नवम्बर माह में चॉस (chance) मिल जाये क्योंकि अब नवम्बर माह में नये आलू से होने वाली परेशानी बिलकुल नहीं गिनी जा रही है।

इस समय आलू को सुरक्षित रखने की शीतगृहों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आलू के मन्द गति से निकलने के कारण शीतगृहों में काफी अच्छी संख्या में आलू रह गया है जिसे उन्हें अब नवम्बर के अन्त तक पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि भण्डारणकर्ता आलू को धीरे–धीरे ही निकालेगा और हो सकता है कि यह निकासी पूरे नवम्बर तक चले। जैसा कि आप जानते है कि इन दिनों में आलू में अकुआ–अंकुरण निकलने की शिकायत बहुत ज्यादा आती है अतः इससे आप को बचना पड़ेगा।

नवम्बर के महीने में आलू में सूख जाने की शिकायत आती है, उसे भी सही देखभाल से कम किया जा सकता है। यह सब देखभाल भण्डारणकर्ता से झगड़ों से बचने में बहुत सहायक होती है।

शीतगृह निर्माण प्रभाव कर (इम्पैक्ट टैक्स) से मुक्त :

हमें ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नए बनने वाले शीतगृहों के लिए इम्पैक्ट टैक्स से छूट प्रदान कर दी है, साथ में निजी भूमि के उपयोग को 10 प्रतिशत में बड़ा कर 35 प्रतिशत तक कर दिया है।

इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं।

संख्या–15 / एन.बी.–988 / 58–2014–44 / 2014

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

→

सेवा में

1. स्थानीय आयुक्त, उ.प्र.
   नई दिल्ली।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.
3. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.
4. समस्त उपाध्यक्ष,
   विकास प्राधिकरण, उ.प्र.

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 07 नवम्बर, 2014

विषय : प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत लागू की जानी वाली औद्यानिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु विभिन्न छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के औद्यानिक उत्पादन में तुड़ाई के उपरान्त होने वाली क्षतियों को और अधिक कम करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत भी बहुउद्देशीय/बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना, पैक हाउस, ग्रेडिंग कलेक्शन सेन्टर, समेकित कोल्ड चेन आदि की स्थापना कराये जाने की आवश्यकता कृषक हित में होती है। उक्त व्यवस्था इस कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्यानिक उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकिंग, भण्डारण एवं अवशीतन की सुविधायें कृषकों/उद्यामियों को उनके उत्पादन क्षेत्र के अधिक से अधिक समीप ही उपलब्ध कराने से उनके उत्पादों की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनी रहेगी, किन्तु वर्तमान में उपरोक्त कार्यकलापों की स्थापना हेतु कृषकों/उद्यमियों को प्रभार कर (इम्पैक्ट टैक्स) देना पड़ता है।

2. इस प्रकार प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि भूमि पर शीतगृह आदि स्थापित किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर देय प्रभाव कर (इम्पैक्ट टैक्स) के कारण भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनुदान देकर प्रोत्साहित किये जाने वाले उक्त कार्य–कलापों पर प्रभाव कर के रूप में कृषकों/उद्यमियों द्वारा शासन को धनराशि का भुगतान करने के कारण शासन द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिये जाने की मंशा पूर्ण ही नहीं होती है तथा कृषक/उद्यमी इस प्रकार की योजनाओं को अपने क्षेत्रों में लागू करने हेतु प्रेरित नहीं हो पाते हैं।

→

3. अतः श्री राज्यपाल कृषि का व्यवसायीकरण करने एवं कृषकों को उनके उत्पादों का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से उत्पादन स्थल के समीप कृषि भूमि पर इन्टीग्रेटेड पैकिंग एवं ग्रेडिंग केन्द्र, कलेक्शन सेन्टर, वैल्यू एडिशन हेतु प्रोइमरी प्रसंस्करण इकाई एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें प्रमोशनल एक्टीविटीज मानते हुए 'इम्पैक्ट टैक्स' से मुक्त रखने और कृषि भूमि के उपयोग हेतु भू–उपयोग सीमा 10 से 35 प्रतिशत किये जाने की छूट प्रदान करने तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा इस छूट की व्यवस्था विकास प्राधिकरणों द्वारा अन्य सम्पत्तियों पर क्रास सब्सिडाइजेशन से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. यह शासनादेश यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीडा की अधिसूचित क्षेत्र में लागू नहीं माना जायेगा।

5. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनश और भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियम/नियम/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

ह0/–

(अरूण सिंघल)

प्रमुख सचिव

संख्या–15/एन.बी.–988(1)/58–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ.प्र.।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर (कर निबन्धन विभाग) , उ.प्र. शासन।
9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ.प्र.।

→

11. समस्त उपनिदेशक उद्यान, उ.प्र.।
12. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उ.प्र.।
13. गोपन अनुभाग–1।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0/–

(विजय प्रताप सिंह)

अनु सचिव

मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज ऐसोसिएशन में सम्पन्न मींटिग :

हमें श्री हसमुख जैन गांधी ने यह समाचार भेजा है जिसे हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। हम चाहते है कि और प्रदेश अध्यक्ष भी इस प्रकार की होने वाली मीटिंग का विवरण हमें भेजते रहें।

कोल्ड स्टोर सेमिनार सम्पन्न

म.प्र. शासन द्वारा कोल्ड स्टोर संवर्धन नीति की घोषणा

म.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेमिनार में एडिशनल डायरेक्टर हार्टिकल्चर श्री अनिलजी खरे एवं हार्टिकल्चर डेवलपमेन्ट ऑफिसर श्री अरुण हजेला भोपाल द्वारा म.प्र. में कोल्ड स्टोरेज इण्डस्ट्री विकास पर शासन की नवीन संवर्धन नीति की घोषणा की गई। नवीन क्षमता विस्तार हेतु जिलेवार योजना प्रस्तुत की गई जिसमें शासन 15ः अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगा। साथ ही प्याज भण्डारण की क्षमता का भी विस्तार किया जायेगा।

बिजली टैरिफ की जानकारी विद्युत सलाहकार श्री आर.सी. सोमाल द्वारा दी गई।

दिसम्बर 2016 में इन्दौर में आयोजित होने वाली ऑल इण्डिया कॉन्फ्रेन्स की जानकारी आईस–2016 के डायरेक्टर श्री अतुल खन्ना दिल्ली द्वारा दी गई। सेमिनार में कम्प्रेसर, एयर कुलिंग सिस्टम एवं सोलर पावर पर तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुति दी गई। स्वागत अध्यक्ष हसमुख जैन गांधी द्वारा किया गया, संचालन अजीत वाधवानी एवं आभार बाबूलाल चौधरी द्वारा दिया गया। सेमिनार में सम्पूर्ण म.प्र. के शीतगृहस्वामी उपस्थित थे।

भवदीय

हसमुख जैन गांधी

अध्यक्ष

→

रीड मंच द्वारा इण्डिया कोल्ड चेन शो का आयोजन :

कृपया ध्यान दें कि रीड मंच कम्पनी ने मुम्बई में दिनांक 17/18/19 अक्टूबर, 2016 को कोल्ड चेन शो का आयोजन किया है, यह Bombay Exhibition Centre, Goregaon (East) Mumbai मे होगा।

इसमें देश के सभी शीतगृहस्वामी आमंत्रित हैं। हमारे द्वारा भेजे गये शीतगृहस्वामियों को इस शो को देखने का प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। इस शो में शीतगृह सम्बन्धी मशीनरी व अन्य सामग्री का प्रदर्शन किया जायेगा।

यहाँ पर हमने शीतगृहस्वामियों की एक मीटिंग 17 तारीख को आयोजित की है, जिसमें मछली आदि समुद्री जीवों के भण्डारण के शीतगृहों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। यदि आप मुम्बई पहुँच रहे हैं तो इस मीटिंग में अवश्य सम्मिलित हों और हमारे साथ दोपहर का भोजन भी करें।

हमारे ख्याल से इण्डिया कोल्ड चेन शो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। और किसी जानकारी के लिए आप हमें लिख सकते हैं।

कोल्ड स्टोरेज सम्बन्धी प्रश्नोत्तर :

यह सवाल श्री राजेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उ.प्र. व सचिव, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया से Cargo Connect Magazine ने उठाए थे जिनका उन्होंने जवाब दिया है। चूंकि सवाल और जवाब अंग्रेजी में हैं अतः उन्हें हम वैसे का वैसे दे रहे हैं।

Federation : 2016/451 September 12, 2016

1. **Though India is the largest producer of fruits in the world and the second largest producer of vegetables but the food inflation rate gallops high in India on a daily basis. One of the major reasons for this inflation is wastage of fruits and vegetable products due to inadequate facilities of cold storage in our country. What are the major gaps that need to be fulfilled and the infrastructural developments that the cold storage facilities in India need to go through in order to keep a check on inflation and to maintain a smooth relationship with the economy?**

   In India there is a great shortage of cold storages. At present, majority of the cold storages are coming for the storage of potato only because potato is the item which is saleable right from cold storage gate and does not need the help of further cold chain after storage. It can also be transported from place of production to the place of storage, may be at a longer distance.

→

Although many new cold storages are coming in the name of multi-chamber, multi-commodity facilities but most of them are in the guise of storing potato only, to avail Government facilities.

There is a great shortage of cold storages for the storage of fish, meat, milk, and milk products, green vegetables, fast deteriorating fruits, pharmaceuticals, dry fruits etc.

Various products need cold storages at farm/orchard level and need a counter support of cold storage facility at Mandi or Market Level. We find in Western Countries, cold storage facilities are available for such products in big malls or supermarkets.

2. In this year's budget the Finance Ministry, in order to promote the use of refrigerated containers, proposed to reduce the basic Customs and Excise duty on them to 5% and 6% respectively from 10% and 12.5% how will this move boost the backend infrastructure that is required to bridge the gap between farm and retail food business?

Finance Ministry effort is good but India hardly has got Cold Logistics who can avail the benefits given by them.

3. The cold chain infrastructure in India is being rapidly up upgraded with the assistance of very generous grants from the Government of India through its various arms like National Centre for Cold-Chain Development, National Horticulture Board etc. How have these boodles assisted the entrepreneurs in investing in the cold chain in order to provide scaling heights to the development of cold storage facilities in our country?

Efforts of NCCD and NHB are very supportive to Cold Chain Industry. Lot of emphasis is needed on the present Cold Facilities at Super Markets and Mandis where the Retailer and actual consumer comes in.

4. The cost of operating cold chain storage or a vehicle is high. Nowadays concept of solar powered cold storage is gaining pace in the Indian market. How far is the initiative beneficial, when we see it in terms of energy efficiency and its cost effectiveness in infrastructural development?

Solar Power is accounting to be very costly and beyond the reach of cold storage owners. With the Battery Back-up Solar Power becomes prohibitive. To encourage cold storages to come for solar power, minimum 50% subsidy should be provided.

Concept of Solar Power Cold Storages is increasing because cold storage owners find solution of all problems in solar power. Highest rates of Electricity, Low Voltage Supply, and intermittent breakdowns and supply for restricted hours or no supply at all are the basic problems of the Industry. →

इन्द्रौर मीटिंग :

जैसा कि हमने पिछले अंक में दिया है कि इन्द्रौर, मध्य प्रदेश में दिनांक 16/17/18 दिसम्बर, 2016 को फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की General Body Meeting का आयोजन किया गया है जिसमें आप सबको उत्साहपूर्वक अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे तुरन्त सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इस मीटिंग की सूचना हम इस पत्रिका या ई–मेल द्वारा ही दे पा रहे हैं। अतः अलग से पत्र का इन्तजार न कीजिएगा। वैसे कोशिश हम करेंगे की आपको अलग–अलग पत्र भी लिखें परन्तु ऐसा करना बहुत कठिन व महँगा कार्य होता है।

अमोनिया मीटिंग के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि आपकी उत्तर प्रदेश एसोसिएशन द्वारा अमोनिया पर एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। यह मीटिंग 15 नवम्बर, 2016 को लखनऊ में आयोजित की जायेगी। यह मीटिंग एक दिन की होगी। हमें आशा है कि शीतगृहस्वामियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक होगी। यह हम Association of Ammonia Refrigeration के सहयोग से कर रहे हैं। इस मीटिंग का स्थान व कार्यक्रम का विस्तार हम ई–मेल द्वारा अपने सब सदस्यों को भेज देंगे।

इस मीटिंग के विषय कुछ इस प्रकार होंगे :–

1. आपके कोल्ड स्टोरेज का Design किस प्रकार हो जिससे कि आपका बिजली का कम खर्च हो और अन्य परेशानियाँ भी ना हों?
2. आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए?
3. किसी प्रकार की आपात स्थिति ना आए इसकी पहले से तैयारी कैसे की जाए?

हम यह समझते है कि शीतगृहस्वामियों को ऊपर लिखे विषय समझना अति आवश्यक है। उनको इस तरह से भी समझना चाहिए कि वह अपने operator को भी समझा सकें। अतः हम चाहेंगे कि हमारे सदस्य अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें तो अच्छा होगा। इस विषय पर अपने सवाल व समस्याएँ लिखकर लाये, जिससे आने वाले विशेषज्ञों से हम उनका जवाब ले सकें। आप अपने आने की सूचना ई–मेल द्वारा हमें अवश्य भेजें।

हमारे देखने में आया है कि अधिकांश शीतगृहस्वामी हर बात मे अपने शीतगृह के मिस्त्री पर निर्भर करते हैं। कौन–सा कम्प्रेसर खरीदा जाए? किस प्रेशर पर मशीन चलाई जाए? बिजली की मोटर ज्यादा बिजली खा रही है या कम? आदि छोटी से बड़ी बातें सब मिस्त्री ही बताते है। अधिकांश कोल्ड स्टोरेज के स्वामी ना तो जानते है और ना जानने की कोशिश करते हैं। हम यह चाहते →

हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा शीतगृहस्वामियों को, जितना भी हो सके, शिक्षित करें जिससे कि वह अपने मिस्त्रियों को सिखा सकें ना की मिस्त्रियों से सीखें और उन्हीं के भरोसे शीतगृह को चलाए। अब धीरे–धीरे शीतगृहों का संचालन वैज्ञानिक स्तर पर आता जा रहा है क्योंकि Competition बढ़ता जा रहा है। भविष्य में Competition से समस्याएँ और अधिक आयेंगी जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा।

30 नवम्बर तक भण्डारण के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि हमारा भण्डारण सत्र 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाता है। जब हम अपने भण्डारण प्रभार की घोषणा करते हैं तो उस समय यह स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि यह भण्डारण प्रभार 31 अक्टूबर तक के लिए है। वर्ष 2011 से पहले 31 अक्टूबर तक ही शीतगृहस्वामी शीतगृहों में आलू भण्डारित रखते थे। वर्ष 2011 में सरकार का आदेश आया कि शीतगृह 30 नवम्बर तक किसानों का आलू शीतगृहों में भण्डारित रखेंगे। सरकार ने यहाँ पर यह पाबन्दी नहीं लगाई है कि आप नवम्बर माह का अतिरिक्त भाड़ा नहीं ले सकते। यदि आप भण्डारण की अविधि पहले से स्पष्ट कर देते हैं शीतगृह विनियमन अधिनियम 1976 की सशोधित धारा 29 के अनुसार भी यह सही रहेगा। हमारे अनेक शीतगृहस्वामी इस नियम से अनिमिज्ञ हैं। विशेषतः नये आने वाले शीतगृह इस नियम को नहीं जानते। अतः हम यहाँ पर सरकार का आदेश प्रकाशित कर रहे हैं।

संख्या–3224 / 58–2011–100(2) / 2001

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
   उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ

2. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

→

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2011

विषय : प्रदेश के निजी शीतगृहों में आलू के भण्डारण की अवधि का निर्धारण करने के संबंध में

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के निजी शीतगृहों में फरवरी माह के तृतीय सप्ताह से किसानों के आलू का भण्डारण सामान्यतः प्रारम्भ हो जाता है। वर्तमान में निजी शीतगृह स्वामी शीतगृहों में आलू भण्डारण की अवधि 15 फरवरी से 31 अक्टूबर तक ही निर्धारित करते हैं जबकि शीतगृहों से आलू की निकासी प्रायः नवम्बर माह के अन्त तक होती रहती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीतगृहों में आलू भण्डारण अवधि को 15 फरवरी से 30 नवम्बर तक किया जाय, ताकि किसानों को शीतगृहों से भण्डारित आलू की निकासी हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0/–
(मुकुल सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–3224(1)/58–2011 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
2. अध्यक्ष, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, लखनऊ।
3. समस्त उपनिदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/–
(अश्वनी कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

→

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश
2—सप्रू मार्ग, लखनऊ

पृ.सं.—आलू—586/विक्रय दर लखनऊ, दिनांक 13 अक्टूबर, 2011

प्रदेश के निजी शीतगृहों में आलू के भण्डारण की अवधि का निर्धारण करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—3224/58—2011—100(2)/2001, दिनांक 11.10.2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :—

1. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।

ह0/—
(दिनेश चन्द्र)
निदेशक

→

शोक संदेश

बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सरदार करतार सिंह गाँधी जी, सरदार कोल्ड स्टोरेज एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, फतेहपुर, बाराबंकी का स्वर्गवास दिनांक 13.9.2016 को हो गया।

आप एसोसिएशन के कर्मठ कार्यकर्ता थे और हमारे उपाध्यक्ष के पद पर भी थे और लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोण्डा, अम्बडेकरनगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, के क्षेत्रों का कार्य बड़ी मेहनत से देख रहे थे।

समस्त शीतगृहस्वामियों की ओर से हम उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति दें और उनके परिवार को इस अपूर्णनीय क्षति को वहन करने का साहस दें।

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@fcaoi.org , Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Ashish Guru,** Senior Vice President, **Patit Paban De** - Vice President (North), **Mukesh Kr. Aggarwal** - Vice President (Delhi) and Co-ordinator Government Affairs, **Hansmukh Jain Gandhi** - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination, **Ujjal Singh Bajwa** - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - Hony. Secretary, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South), **Rakesh Garg** - Co-ordinator Government and International Affairs

TOGETHER WE PROGRESS

उत्तर प्रदेश :

यहाँ पर आलू की निकासी धीरे–धीरे गति पकड़ी है। भण्डारणकर्ताओं में बैचेनी महसूस की जा रही है। अतः थोड़ा–थोड़ा करके आलू निकालना शुरू कर दिया है इस वजह से आलू के नीचे कि ओर जा रहे हैं। मण्डियों में माल माँग से अधिक पहुँच रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश से मानसून की वापसी के संकेत नहीं हुए हैं इसलिए किसान आलू को बोने के लिए तैयार नहीं हुआ है। बीज की निकासी काफी कम है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आलू के रेट को लेकर घबराहट ज्यादा है।

पंजाब :

पंजाब में गर्मी काफी तेज पड़ रही है इसलिए आलू की बुआई में परेशानी पैदा हो रही है। जो आलू बोया भी गया है उसके सुचारू रूप से पैदा होने की उम्मीद कम है। आगे आने वाले समय में पंजाब की अगली फसल का आलू बाजार में बहुत कम असर दिखा पायेगा।

गुजरात :

गुजरात के भण्डारणकर्ताओं ने भण्डारित आलू की अधिक मात्रा पहले से ही निकाल डाली है फिर भी बचे हुए आलू के बारे में वह काफी सशंकित नजर आते हैं क्योंकि इस वर्ष गुजरात में भण्डारित आलू की मात्रा काफी अधिक है।

पश्चिम बंगाल :

पश्चिम बंगाल के भण्डारित आलू को उचित मात्रा में निकाला जा चुका है विशेष घबराहट नहीं है। बचे हुए भण्डारित आलू की जो मात्रा आंकी जा रही है कि वह बीज आलू वा पूरे नवम्बर तक आलू कि ब्रिकी के लिए काफी होगा। यहाँ हम आपको बता दे कि पश्चिम बंगाल में शीतगृहों का आलू सामान्यतः 15 दिसम्बर या पूरे दिसम्बर तक चलता है। पश्चिम बंगाल का आसाम वा उड़ीसा में काफी मात्रा में सुरक्षित बाजार है। वैसे तो कभी–कभी उत्तर प्रदेश वा पंजाब भी आसाम में हमला कर देते हैं परन्तु अधिक ट्रक भाड़े के कारण उनको काफी परेशानी उठानी पड़ती है। →

शीतगृहस्वामियों के लिए अक्टूबर माह में ध्यान देने योग्य बातें :

1. अक्टूबर माह में शीतगृहों से बीज आलू की निकासी बहुत अधिक होती है वह प्रायः शीतगृहों के बाहर टीन शेड में सूखाया जाता है और सूखाने के बाद भी किसान इस आलू को अपने घर ले जाता है। इस कारण शीतगृहों को यह देखना आवश्यक है कि उनके यहाँ आलू सूखाने की व्यवस्था पूरी हो वा सही तरीके से हो। टीन शेड के नीचे बिजली के पंखों वा रोशनी की व्यवस्था भी सूचारू रूप से होना आवश्यक है। यह माना कि आप कानूनी रूप से इस व्यवस्था के ना होने पर बच जाये परन्तु अन्य शीतगृहों से प्रतिस्पर्धा में आपको हार का सामना करना पड़ेगा यदि आपके पास आलू सूखने की सही व्यवस्था नहीं होगी। न सिर्फ व्यवस्था ना होने पर किसान परेशान हो जायेगा वरन् आपके शीतगृह में आलू बचता चला जायेगा जो कि यदि भविष्य में आलू के भाव और गिर जाते है तो यह आलू गले की घंटी बन सकता।
2. जिस समय आलू की निकासी हो रही होती है उस समय बोरों से एक–एक दो–दो आलू शीतगृहों के कक्ष में बिखर जाते हैं जो कि पैरों के नीचे भी आते है वा चहली के बीच में भी फँस जाते हैं जिसकी वजह से शीतगृह बन्द हो जाने के बाद काफी मात्रा में चूहे पैदा हो जाते हैं। यह चूहे कमरे के सारे इन्सुलेशन को बर्बाद कर देते हैं। अतः आलू के गिरने के साथ–साथ उसे बटोरने की व्यवस्था भी रखें जिससे आपको अच्छा आलू भी मिल जायेगा जिसे आप उन भण्डारितकर्ताओ को दे सकते हैं जिनका आलू भण्डारित मात्रा से कम हो रहा हो और चूहों से बचने में भी मदद मिलेगी।
3. यदि आपके शीतगृह कक्षों में बंकर क्वायल से सटे हुए बोरों पर बर्फ जमने की शिकायत आ गई हो और जिसके कारण आलू पिच पिचा होने लगा है उनमें सफेद–सफेद से झाग निकलने लगी हो तो ऐसे आलू के बोरों को फौरन चिन्हित करिये। ऐसे बोरों को तुरन्त ही अलग करके अलग से सुखाइये जिससे वह आलू की पूरी लाट में न मिल सके और आप एक बड़े घाटे वा परेशानी से बच जाए।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित